

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
कृषि भवन, राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

सं.जे-25/7/2022-सीपीयू अनुभाग

16 सितंबर, 2026

“नियामक अनुपालन से संबंधित कार्यों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विशेषज्ञ(ओं) और पेशेवर(ओं) [स्तर-II] की नियुक्ति”

1. पृष्ठभूमि

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और जनता व उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने व लागू करने हेतु केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। सीसीपीए या केंद्रीय प्राधिकरण 24 जुलाई, 2020 को स्थापित होने से प्रभावी है।

2.1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के तहत सीसीपीए के वैधानिक कार्य निम्नलिखित हैं:

- (क) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर या केंद्र सरकार के निर्देश पर पूछताछ करना या जाँच करवाना;
- (ख) इस अधिनियम के अंतर्गत, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करना;
- (ग) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं के किसी भी आरोप के संबंध में, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;
- (घ) उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित मामलों और उनके उपभोग में बाधा डालने वाले कारकों की समीक्षा करना, जिसमें वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं, और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना;

(ड) उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश करना;

(च) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना;

(छ) उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और उसे बढ़ावा देना;

(ज) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को उपभोक्ता संरक्षण एजेंसियों के साथ सहयोग और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(झ) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, आवश्यकतानुसार, ऐसी वस्तुओं में विशिष्ट और सार्वभौमिक वस्तु पहचानकर्ताओं के उपयोग को अनिवार्य बनाना; जिला कलेक्टर की शक्तियाँ। प्राधिकारियों को शिकायतें। केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य;

(ञ) खतरनाक, जोखिमपूर्ण या असुरक्षित वस्तुओं या सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए सुरक्षा नोटिस जारी करना;

(ट) उपभोक्ता कल्याण उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों को सलाह देना;

(ठ) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना।

2.2. धारा 19 के अंतर्गत, केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्र सरकार से प्राप्त शिकायत, सूचना या निर्देशों के आधार पर या स्वप्रेरणा से, जहाँ प्रथम दृष्टया उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या किसी अनुचित व्यापार प्रथाओं या किसी झूठे या भ्रामक विज्ञापन का मामला प्रतीत होता है जो जनहित या उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है, जाँच करवा सकता है। प्रारंभिक जाँच के बाद, यदि केंद्रीय प्राधिकरण की राय में मामले को किसी अन्य कानून के तहत स्थापित नियामक द्वारा निपटाया जाना है, तो वह ऐसे मामलों को संबंधित नियामक को संदर्भित कर सकता है।

2.3. धारा 20 के तहत, जहाँ जांच के आधार पर, केंद्रीय प्राधिकरण संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार

प्रथाओं को दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, केंद्रीय प्राधिकरण आवश्यक आदेश पारित कर सकता है, जिसमें शामिल हैं:

(क) उन वस्तुओं या सेवाओं को वापस मंगाना या वापस लेना जो खतरनाक, जोखिमपूर्ण या असुरक्षित हैं;

(ख) वापस मंगाए गए माल या सेवाओं के मूल्य की प्रतिपूर्ति ऐसे माल या सेवाओं के खरीदारों को करना; और

(ग) उन प्रथाओं को बंद करना जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए अनुचित और हानिकारक हैं।

2.4. धारा 21 के तहत, केंद्रीय प्राधिकरण झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के मामले में या जो उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल हैं या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, विनिर्माता या पृष्ठांकनकर्ता को जुर्माना लगाने के साथ-साथ उन विज्ञापनों को बंद करने या संशोधित करने के निर्देश दे सकता है।

2.5 धारा 22 के अंतर्गत, प्रारंभिक जांच के पश्चात्, अन्वेषण करने के लिए, केन्द्रीय प्राधिकरण तलाशी और जब्ती की कार्रवाई भी कर सकता है। (तलाशी और जब्ती से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे)।

3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अपने अधिदेश की पूर्ति के लिए, सीसीपीए नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की सहायता के लिए निम्नलिखित विषयों (स्तर-II पर) में विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है:

क्र.सं	विषय/पृष्ठभूमि	पदों की संख्या
1.	विधि(लाँ)	2 (दो) पद*

* इन पदों के अतिरिक्त, भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति के लिए 4 (चार) पात्र उम्मीदवारों की एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। यह पैनल छह माह तक वैध रहेगा।

4. पेशेवर/विशेषज्ञ के लिए प्रस्तावित कार्य का दायरा:- केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ और पेशेवर ऐसे कार्य करेंगे जो केन्द्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए मुख्य आयुक्त द्वारा उन्हें सौंपे जाएंगे।

5.1 विशेषज्ञों और पेशेवरों की अहर्ताएं, अनुभव और वर्गीकरण और भुगतान शर्तें आदि:- विशेषज्ञों और पेशेवरों की श्रेणी, अहर्ताएं, अनुभव आदि अनुसूची-I

में दर्शाए गए हैं। संबंधित विषय में आवश्यक अनुभव का विवरण अनुसूची-II में दिया गया है और तदनुसार एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

5.2 असाइनमेंट की अवधि और कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन: विशेषज्ञों और पेशेवरों को सामान्यतः अनुबंध के आधार पर कम से कम छह महीने और अधिकतम तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उनके कार्यनिष्पादन की हर छह महीने में समीक्षा की जाएगी ताकि उनके बने रहने या न रहने पर निर्णय लिया जा सके।

5.3 अन्य नियम और शर्तें:

- i. विशेषज्ञ और पेशेवर, जिन्होंने नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, किसी भी कार्य को सौंपे जाने से पहले, एक अनुबंध करेंगे और ऐसे अनुबंध में गोपनीयता खंड और नियुक्ति की शर्तों का विवरण शामिल होगा।
- ii. यदि केंद्रीय प्राधिकरण आवश्यक समझे, तो किसी विशिष्ट मामले में नियुक्ति की शर्तों को संशोधित किया जा सकता है।
- iii. विशेषज्ञ और पेशेवर या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा एक महीने का नोटिस देकर नियुक्ति को पहले भी समाप्त किया जा सकता है।
- iv. केंद्रीय प्राधिकरण को उपलब्ध कानूनी उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निष्पादित अनुबंध की शर्तों और नियमों का कोई भी उल्लंघन उक्त अनुबंध के तहत की गई नियुक्ति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार माना जाएगा और ऐसे विशेषज्ञ या पेशेवर को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा भविष्य में नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है।
- v. नियुक्ति केवल पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्ति सीसीपीए में नियमित नियुक्ति या निरंतर संविदात्मक नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।

6.1 इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति केवल यूआरएल <https://jagograhakjago.gov.in/ccpa> पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर होगी। केवल सभी पहलुओं से पूर्ण आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। बिना संबंधित अनुलग्नकों के या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.2 केवल चयनित पात्र अभ्यर्थियों को ही चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।

अनुपम मिश्रा

(अनुपम मिश्रा)

आयुक्त

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)

दूरभाष: 23386666

अनुलग्नक

के लिए आवेदन।

जीवनवृत्त

1. अभ्यर्थी का नाम:

2. जन्म तिथि:

3. पिता का नाम:

4. वर्तमान पता:

5. स्थायी पता:

6. पत्राचार का पता:

दूरभाष सं.

मोबाइल नं.

ईमेल आईडी:

7. (क) अहर्ताएं:-

क्र.सं.	डिग्री	विश्वविद्यालय/संस्थान	क्षेत्र/विशेषज्ञता	प्रतिशत प्राप्तांक	उत्तीर्ण होने का वर्ष

(सभी प्रमाण-पत्र(ओं) की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी)

पासपोर्ट
साइज फोटो

(ख) अनुभव (नियोक्ता द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र(ओं) की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी):-

रोजगार का विवरण, उल्टे कालानुक्रमिक क्रम में:

क्र.सं.	कार्यालय/संस्थान/संगठन	पद धारण किया	अवधि		कर्तव्यों की प्रकृति संक्षेप में
			से	तक	

(ग) अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, (एक विशेषज्ञ और पेशेवर के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में आप जो जानकारी देना चाहेंगे, उसे शामिल करें। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो एक अलग पृष्ठ संलग्न करें। यदि कोई शोध प्रकाशन या प्रकाशित लेख हो, तो उसकी प्रतियाँ संलग्न करें। यदि कोई सिफारिश पत्र हो, तो उसे भी संलग्न करें।)।

वचन पत्र

मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

तारीख:

स्थान:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुसूची I

विषय	अर्हताएं	अनुभव
विधि(लॉ)	आवश्यक— (i) भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एलएलबी या समकक्ष की डिग्री, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार किसी भी राज्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता प्राप्त। वांछनीय – उपभोक्ता कानून या विनियामक कानून के विषय में कोई उच्च योग्यता।	i. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय या सरकारी या नियामक प्राधिकरण या न्यायाधिकरण या किसी अन्य समान मंच में न्यायिक या कानूनी कार्य का अनुभव, या ii. उपभोक्ता कानून पढ़ाने में विशेषज्ञता के साथ भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या व्यावसायिक संस्थान में विधि के प्रोफेसर/रीडर/व्याख्याता, या iii. कॉर्पोरेट क्षेत्र में विधिक प्रबंधक या वरिष्ठ पद, उपभोक्ता कानून के तहत उपभोक्ता शिकायतों, उत्पाद दायित्व कार्रवाई, सामूहिक कार्रवाई आदि को संभालने का अनुभव।

अनुसूची II

विशेषज्ञों और पेशेवरों का स्तर	वर्षों में मुख्य अनुभव	एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक
(1)	(2)	(3)
स्तर II	तीन से पाँच वर्षों तक	प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹70,000.